न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमति गोमती शर्मा .....

मुकदमा नम्बर 36/2019

वादी/प्रार्थी	बनाम	प्रतिवादी/अप्रार्थीगण
लक्ष्मणसिह पुत्र ओमकारसिह राजपूत निवासी मोरसीम		ओमकारसिह पुत्र हिम्मतसिह राजपुत निवासी मोरसीम

उपस्थित :–प्रार्थी वकील श्री गोरधनराम विश्नोई
:– अप्रार्थीगण वकील श्री छैलपुरी गोस्वामी

निर्णय

दिनांक: 6/9/2019

प्रकरण में सक्षिप्त विवरण विश्लेषण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद उपरोक्त अनवान का प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया जिसको दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, वादी के वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी प्रतिवादी ओमकारसिह पुत्र हिम्मतसिह को जायंदा एकमात्र पुत्र संतान है वादी स्व. रतनसिह पुत्र सुल्तानसिह का पडपोत्र एवं रतनसिह के नाम गत खसरा नम्बर 1800 रकबा 48 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी दोयम को खातेदारी प्रथम खतौनी बन्दोवस्त मौजा मोरसीम में दर्ज हुई जो वादी की पुश्तैनी खानदानी कृषि भूमि है। इसमें वादी का बाई बर्थ से हित व खातेदारी अधिकार कनुनीया बनते है।यह सम्पति पैतृक सहदायी सम्पति है वादी हिन्दु विधि से शासित है।

द्वितीय सेटलमेंन्ट कार्यवाही के दौरान पुराने खसरा नम्बर 1800 के नवसृजित खसरा नम्बर 48 रकबा 1.77 है. खसरा नम्बर 49 रकबा 2.04है., खसरा नम्बर 50 रकबा 2.49 है. खसरा नम्बर 52 रकबा 1.56 है. किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरे 4 रकबा 7.96 है0 कायम कर उक्त खातेदारी श्रीमति बाईकंवर धर्मपत्नि रतनसिह के नाम ग्राम मोरसीम में दर्ज हुई क्योकि रतनसिह के फौत होने पर उनकी धर्मपत्नि के नाम खातेदारी द्वितीय भु–प्रबन्ध विभाग की खतौनी बन्दोवस्त संवत 1/7/1989 से सन 2009 तक में दर्ज हुई तथा मिलान क्षैत्रफल भी वादी द्वारा पेश किया गया यह जमीन वादी को पुश्तैनी जमीन है। वादी ने प्रतिवादी से एक वर्ष पहले होली के प्यौहार पर कुल 7.96 है. जमीन अपने हिससे में दर्ज करवाने की मांग की तो इन्होने वादी को उक्त पुश्तैनी जमीन मे से हक व हिस्सा देने से मना कर दिया तथा उक्त आराजी को किसी अनजान व्यक्ति को बेचान करने की धमकी दी जिनको वादी की पुश्तैनी जमीन का विक्रय करने का अधिकार नही है क्योकि खेत पुश्तैनी जमीन में आये हुऐ होने से अपरिचित व अनजान व्यक्ति को कब्जा करने

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

का अधिकार नही है। जबकि ये खेत पुश्तैनी खेत होने से वादी का जन्म से हक व अधिकार कानुनीया होने से उक्त वादी खातेदारी उद्घोषणा का पेश किया गया है।

खेत खसरा नम्बर 48,49,50,52 रकबा 7.96 है0 एवं इसके अलावा खसरा नम्बर 920,921,922 की खातेदारी ना.क.स. 297 के जरिये प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज है। वादी ने वाद के समर्थन में प्रथम खतौनी बन्दोवस्त, द्वितीय खतौनी बन्दोवस्त,मिलान क्षैत्रफल जमाबन्दी सं. 2056 से 2059 जमाबन्दी सं. 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रतिया मौजा मोरसीम की पेश कि जिससे यह साबित है कि उक्त भुमि वादी की पैतृक पुश्तैनी प्रतिवादी ओमकारसिह ने उक्त वाद का जबाबदावा पेश किया गया जिसमें वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी रूप से मानते हुए वादी को हक व हिस्सा देने हेतु तैयार है,इसीलिए आराजी वादी के नाम घोषित की जाती है, तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है तथा वाद में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा राजीनामा भी पेश किया गया जिसमें दोनो पक्षकार राजी खुशी वाद माफिक इस्तदुआ अनुसार राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

हमने पक्षकारान के वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि वादी का वाद पोषणीय होने से डिक्री किया जाना न्यायोचित है अर्थात वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मोरसीम के नये खसरा नम्बर 48 रकबा 1.77 है. खसरा नम्बर 49 रकबा 2.04है., खसरा नम्बर 50 रकबा 2.59 है. खसरा नम्बर 52 रकबा 1.56 है. किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरे 4 रकबा 7.96 है. को वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो एवं घोषणा अनुसार राजस्व रेकार्ड हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

सहायक कलेक्टर बागोडा

सहायक कलेक्टर
बागोडा

Scanned by CamScanner